

(2)

प्रारूप-5

परियोजना विवरण :-

ना० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 70/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड कीर्तिनगर के ग्राम धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.000 कि०मी०)।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर पृष्ठ संख्या १-१० पर संलग्न की गयी है।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

सहायक सचिव
मुख्य कार्य
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अभियंता
विभागाध्यक्ष विभाग

देहरादून दिनांक 17 जुलाई, 2018

विभाग- मुख्य एवं 2018-19 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विभाग तथा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत स्थित 02 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियंता, नौका, लोक निर्माण विभाग टिहरी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगमनों, जिनकी लम्बाई 8.00 किमी तथा कुल लागत ₹ 33.78 लाख है, पर विभागीय टीएणसीओ द्वारा परीक्षणोपरान्त विस्तृत कोनक्लूजन धनसहि ₹ 33.78 लाख (रु० तीस लाख अक्षरतर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चाहे वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 02 कार्यो हेतु ₹ 0.20 लाख (रु० बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवेदन में रखे जाने की ही संतुष्टि निम्नांकित शर्तों के अधीन सहम स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रतियोग्यता कार्यो को समयसमय रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 को व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगमन में उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाग से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अरीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय अदायि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो बचत का समायोजन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के कम्प गज़र रखती हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिशेषों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन कर्तव्य सुनिश्चित करें।

(v)- आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्सीमेंट क्लब-2017 एवं पक्का की विधय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कठार्थ से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित कराते समय कठार्थ से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगमन में एन०पी०पी०, भूमि अधिग्रहण, वृद्धिनिही शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-8054 सड़कों तथा सेतुओं का पुर्नोद्धार परिषद-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-04 सड़क/मधन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आध-व्ययक में प्राविधानित तथा वित्तीय एवं दरो मंजूर धनराशि से किया जायेगा।

P.C. Arora

सहायक अभियंता

स्थायी-2018 लोक निर्माण विभाग
वीतिपर-2018 लोक निर्माण विभाग
H.Q. Kirtinagar

34- स्वीकृत किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

35- जोमान में प्राप्त हुए अनुमान की जा रही व्ययों का वर्ष 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जाएगा। यदि स्वीकृत कार्य के संबंध में वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त व्ययों की आवश्यकता होती है तो उसका कार्य समय पर में निर्माण में लगे रहें व्ययों के निम्नानुसार किया जाएगा।

36- यदि स्वीकृत किए जा रहे कार्य में से कोई कार्य प्रत्यक्षतः जमीन सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रत्यक्षतः जमीन सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति प्राप्त मिलान सखी जायेगी।

37- इस सड़क में होने वाला कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान को-02-लोकसुविधा-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-307-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

38- वह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-266/XXVII/(2)/2018 दिनांक 17 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एसओएसो टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-3421/111(2)/18-10(एमओएलओ)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, माओ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
9. अधिशासी अभियन्ता, अ०ख०, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर।
10. गार्ड फाईल।

P. C. Arora

सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० व०

आज्ञा से

(एसओएसो टोलिया)
संयुक्त सचिव

3421

/ 11(2) / 18-10(एमओएलओए) / 2017 दिनांक 7 जुलाई, 2018 का संलग्नक

(घनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही घनराशि।
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 70/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर के खेल मन्दार नामक लोक से कुन्याड-मिन्दापू स्तम्भाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	3.00	17.70	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 70/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में ग्राम धारी से बग्यो तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	3.00	16.08	0.10
	योग	6.00	33.78	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(एत०एत० टोलिया)
संयुक्त सचिव

P.C Attached

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
बीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ब०